परवेश देवी बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

समक्ष एम.एम. कुमार और एम.एम.एस. बेदी, माननीय न्यायमूर्ति

परवेश देवी

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

सी.डब्ल्यू.पी. न. 2005 का 5715

10 अक्टूबर 2006

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद - 226—हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड।। नियम 3.16(b), नोट I, प्रविष्टि 2 और 6.1 -विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 धारा 2(टी) और 47-याचिकाकर्ता के पति ने एक सरकार से---साहिता प्राप्त करने वाले स्कूल में 20 साल से अधिक नौकरी की और राज्य सरकार द्वारा निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों का अधिग्रहण होने के बाद, उन्होंने, सरकारी स्कूल में 7 साल 10 महीने नौकरी की - याचिकाकर्ता को आगे की सेवा के लिए उनके सिर पर लगी चोट के कारण एक मेडिकल बोर्ड ने उन्हें स्थायी रूप से असक्षम घोषित कर दिया- किसी भी अनियमित या असंयमी आदत के कारण अक्षमता नहीं घोषित की गई - पेंशन के लिए दावा डाला गया - इस आधार पर अस्वीकृति की गई कि उन्होंने सरकारी स्कूल में 10 साल से कम की अवधि की सेवा की है- राज्य ने याचिकाकर्ता के पति को कार्यमुक्त कर दिया और सेवानिवृत्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया - 1995 अधिनियम की धारा 45 में यह प्रावधान है कि कोई भी प्रतिष्ठान किसी ऐसे कर्मचारी के रैंक को समाप्त या कम नहीं कर सकता, जिसने अपनी सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त की हो - प्रावधान स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि विकलांग व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर ही पर, सेवानिवृत्त होना होगा - याचिकाकर्ता के पति को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा से सेवानिवृत्त नहीं माना जा सकता है और वह सेवामुक्त होने की तारीख से वेतन के भुगतान का हकदार हैं क्योंकि यह माना जाएगा कि उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक

परवेश देवी बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

सेवा प्रदान की है। सेवानिवृत्ति- याचिका स्वीकार की जाती है - याचिकाकर्ता के पति को सेवा से मुक्त करने और पेंशन अनुदान ना प्राप्त करने के आदेश को रद्द कर दिए जाता है ।

यह अभिनिर्णित किया गया, कि विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कोई भी प्रतिष्ठान किसी ऐसे कर्मचारी को पद से नहीं निकलेगा या उसके पद को कम नहीं करेगा, जिसने नौकरी के समय विकलांगता प्राप्त की हो। उपर्युक्त प्रावधान द्वारा यह स्पष्ट है कि यदि कोई कर्मचारी विकलांगता प्राप्त करता है तो उसे उसी वेतनमान और सेवा लाभों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है । यह प्रावधान भी दिया गया है कि यदि ऐसे कर्मचारी को पद उपलब्ध ना होने के कारण समायोजित करना संभव नहीं है, तो उसे तब तक किसी अतिरिक्त पद पर रखा जाना आवश्यक है , जब तक कि ऐसा पद उपलब्ध न हो या वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी इनमें से पहले हो। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि विकलांग व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु प्राप्त करने पर ही सेवानिवृत्त होना होगा।

इसके अलावा, यह *अभिनिर्णित किया गया* है कि याचिकाकर्ता को हालांकि कार्यमुक्त कर दिया गया है, लेकिन उसे 30 जून, 2007 की सेवानिवृत्ति की आयु तक, सेवा से सेवानिवृत्त नहीं माना जा सकता है। तदनुसार, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने 1 सितंबर1994 से 30 जून 2007 तक, निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों पर कब्ज़ा होने के बाद भी, सेवा की है। ऐसी सेवा को योग्य सेवा माना जाएगा क्योंकि इसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की है । वह 30 जून, 2007 से सेवानिवृत्त होंगे, जब अधिनियम की धारा 47 के परंतुक 2 के अनुसार याचिकाकर्ता के पति के लिए अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा । इसलिए, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता को उस तारीख से वेतन प्राप्त होगा, जिस दिन से उसे कार्यमुक्त किया गया था और उसे उसके बाद उसकी सेवानिवृत्ति यानी 30 जून, 2007 तक वेतन का भुगतान किया जाएगा।

(पैरा 8)

परवेश देवी बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

आर.एन. शर्मा- याचिकाकर्ता के वकील

जसवन्त सिंह- अतिरिक्त. ए.जी, हरियाणा।

<u>निर्णय</u>

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार,

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 14 फरवरी, 2005 (अनुलग्नक पी.8) के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है जिसमे याचिकाकर्ता के पति को 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा के आधार पर पेंशन ना देने का अनुरोध किया गया है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता समाज कल्याण हाई स्कूल रोहतक, (सोनीपत) में संस्कृत शिक्षक के पद पर नियुक्त था । उनकी नियुक्ति 18 दिसंबर 1972 (अनुलग्नक पी.4) को संस्कृत शिक्षक के रूप में की गई क्योंकि हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 (संक्षिप्तता के लिए 'अधिनियम') के तहत स्कूल को सरकारी सहयातित और प्राप्त हो गई थी । याचिकाकर्ता ने 30 अगस्त, 1994 तक उपर्युक्त स्कूल में सेवा प्रदान की, जो की सरकारी सहयातित और मान्यता प्राप्त संस्थान था। हालाँकि, सरकार ने स्कूल को 1 सितंबर, 1994 से अपने क़ब्ज़े में ले लिया था (अनुलग्नक पी.5)। पदभार ग्रहण करने के बाद याचिकाकर्ता केवल 30 जून, 2002 तक ही काम कर सकता था क्योंकि उसे भविष्य की सेवा के लिए स्थायी रूप से असक्षम घोषित कर दिया गया था। पी.जी.आई.एम.एस, रोहतक के विशेष मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता के पति को सिर में लगी चोट लगने के कारण विभाग में संस्कृत मास्टर के रूप में आगे की सेवा के लिए पूरी तरह से और स्थायी रूप से असक्षम पाया गया था। उपर्युक्त अक्षमता याचिकाकर्ता की अनियमित या असंयमी आदतों के कारण नहीं हुई थी और इसे मेडिकल बोर्ड (अनुलग्नक पी. 1) द्वारा प्रमाणित

किया गया था। प्रस्तुत रिकॉर्ड फ़ाइल के अनुसार तदनुसार उन्हें 4 जून, 2002 को सेवा से मुक्त कर दिया गया था। कार्यमुक्ति आदेश को मार्क "ए" के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया है और इस तरह उन्हें 1 जुलाई, 2002 से सेवा से सेवानिवृत्त माना गया था। जब उनका मामला पेंशन अनुदान के लिए भेजा गया था, तो महालेखाकार-प्रतिवादी संख्या 4, ने उन्हें इस आधार पर कोई पेंशन मंजूर नहीं की क्योकि उनके अनुसार उन्होंने केवल 7 साल 10 महीने की अवधि के लिए एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम किया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता को 10 मई, 2003 के आदेश (अनुलग्नक पी. 2) के अनुसार 39040 रुपये की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी प्रदान कर दी गई थी। अपने पति की ओर से याचिकाकर्ता ने 3 दिसंबर, 2004 को एक कानूनी नोटिस (अनुलग्नक पी. 7) भेजा, जिसमें समाज कल्याण हाई स्कूल, जो एक सरकारी सहयातित स्कूल था, में उसके पति द्वारा प्रदान की गई सेवा की गणना करके, अमान्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी का दावा किया गया था। महालेखाकार - प्रतिवादी नंबर 4 ने याचिकाकर्ता के दावे को दिनांक 14 फरवरी, 2004 को खारिज कर यह दलील दी कि मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी / सेवा ग्रेच्युटी पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II (संक्षिप्तता के लिए 'नियम') के अनुसार सेवानिवृत्त को ही प्रदान होती है।आगे यह दावा भी किया गया है कि नियम 3.16 के नोट 1 के अनुसार सरकारी सहयातित स्कूल में प्रदान की गई सेवा को पेंशन लाभ/अर्हक सेवा के लिए गणना योग्य नहीं माना गया था ।

(3) 19 अप्रैल, 2006 को, आंशिक रूप से दलीलें सुनीं गई और मामले की सुनवाई को रिकॉर्ड पेश करने के लिए स्थगित कर दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या याचिकाकर्ता के पति के संबंध में सेवानिवृत्ति का कोई आदेश दिया गया था या नहीं। जब मामला 21 अप्रैल, 2006 को फिर से सुनवाई के लिए आया तो , अंततः रिकॉर्ड पेश किया गया और ऐसा कोई आदेश नहीं था जो दर्शाता हो कि याचिकाकर्ता औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो गया था। आदेश दिनांक 4 जून, 2002 (मार्क "ए") केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई , दिनांक 10

मई, 2002, की विशेष रिपोर्ट (अनुलग्नक पी. 1) का हवाला देकर याचिकाकर्ता को सेवा से मुक्त कर दिया गया है।

(4) श्री आर.एन. शर्मा, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि नियमों के नियम 6.16 के साथ पढ़ा जाने वाला नियम 3.16 (बी) नोट I, प्रविष्टि 2 याचिकाकर्ता पर लागू नहीं है क्योंकि उपर्युक्त नियम के अनुसार यह माना जाता है कि कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुआ है, बल्कि 10 मई, 2002 की मेडिकल रिपोर्ट (अनुलग्नक पी. 1) के आधार पर उसे सेवामुक्त कर दिया गया था । इसके बाद उन्होंने नियम 5.11 का हवाला दिया जो अमान्य पेंशन देने से संबंधित है और तर्क दिया कि उत्तरदाता याचिकाकर्ता को ऐसी पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकते। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने **अवतार सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1]**और रघबीर चंद** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] के मामलों में इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया है और तर्क दिया है कि यदि कोई विशेष मामला किसी विशेष नियम से निपटाया जाता है तो वह प्रायोगिक नियम की अनुप्रयोगिता को रोक देता है। यह भी तर्क है कि नियम के निर्माताओं ने नियम 5.11 के प्रावधान को किसी अन्य नियम के प्रावधान के अधीन नहीं बनाया है। इसके बाद उन्होंने **रणजीत सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** [3]और **मोहिंदर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[4] के मामलों में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसलों पर निर्भर किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ के साथ कुछ अतिरिक्त भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए।

उन्होंने एक और दलील दी कि **चंदर सैन** बनाम **हरियाणा राज्य**[5] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर याचिकाकर्ता के पति को पूरी अवधि के लिए ग्रेच्युटी दी

---

[1] 1989 (3) एस.एल.आर. 623

[2] 1997 (2) आर.एस.जे. 198

[3] 1994 (3) पी.एल.आर. 687

[4] 2000 (1) एस.सी.टी. 149

[5] 1994 (2) आर.एस.जे. 690

जानी चाहिए और तर्क दिया गया कि पैरा 4 में यह स्पष्ट किया गया था कि सरकार द्वारा अधिग्रहित निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों के कर्मचारी भी पेंशन और भविष्य निधि के हकदार होंगे क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी कॉलेज के कर्मचारियों को भी प्रदान किया गया है।

(5) राज्य के विद्वान वकील श्री जसवन्त सिंह ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को पेंशन या पारिवारिक पेंशन नहीं दिया जाएगा परंतु उसके पास उपलब्ध एकमात्र राहत नियम 6.16 के अनुसार मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करना है। इसके बाद उन्होंने यह तर्क दिया कि सहयातित स्कूल के कर्मचारी, सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों को उपलब्ध किसी भी अन्य प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, **उन्होंने हरियाणा राज्य** बनाम **चंपा देवी** [6] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि याचिकाकर्ता को पेंशन के बदले मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी दी गई है जैसा कि नियम 6.16 द्वारा प्रदान किया गया है, जिस में यह प्रस्तुत है कि जिन कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष से कम है, उन्हें इसके लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, याचिकाकर्ता की सेवा ग्रेच्युटी रु. 7 वर्ष 10 माह की कुल सेवा के लिए 39040 रुपये की गणना की गई है।

(6) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा दी गई दलीलों पर सोच-समझकर विचार कर लिया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता का पति 100 प्रतिशत अक्षम होकर कोमा में पड़ा हुआ है और यह स्थिति उसकी किसी अनियमित या असंयमी आदत के कारण नहीं हुई थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 15 जून, 1949 है और उसने सेवानिवृत्ति 14 जून, 2007 को प्राप्त करनी थी। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने 18 दिसंबर, 1972 को समाज कल्याण हाई स्कूल, में संस्कृत शिक्षक के रूप में शामिल हुए थे , जहां उन्होंने 30 अगस्त,

---

[6] 2002 (2) एस.एल.आर. मैं

परवेश देवी बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

1994 तक नौकरी की। वहां प्रदान की गई सेवा की कुल अवधि 21 वर्ष और 8 महीने थी। .

हालाँकि, स्कूल को प्रतिवादी राज्य ने 1 सितंबर, 1994 को अपने कब्जे में ले लिया था।

हालाँकि, स्कूल को प्रतिवादी राज्य ने 1 सितंबर, 1994 को अपने कब्जे में ले लिया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सेवानिवृत्ति का अब तक कोई आदेश नहीं दिया गया और याचिकाकर्ता को नियम 6.16 के अनुसार केवल सेवा उपदान दिया गया है। सवाल यह उठता है कि क्या नियम 6.16, जो की पेंशन का हकदार बनने के लिए न्यूनतम 10 साल की सेवा प्रदान करना है, याचिकाकर्ता के पति के मामले में लागू होगा। उस संबंध में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 (टी) और 47 के प्रावधानों का संदर्भ दिया जा सकता है जिस में यह लिखित है कि

"2. परिभाषा- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(ए) से (एस) ** ** **

(टी) 'विकलांग व्यक्ति' का अर्थ चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित चालीस प्रतिशत से कम विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति नहीं है'

"47. सरकारी रोज़गार में भेदभाव न करना-

(1) कोई भी प्रतिष्ठान सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करने वाले किसी कर्मचारी को अलग नहीं करेगा, या उसका रैंक कम नहीं करेगा:

बशर्ते, यदि कोई कर्मचारी विकलांगता प्राप्त करने के बाद अपने पद के लिए उपयुक्त नहीं होगा, तो उसे उसी वेतनमान और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है:

बशर्ते कि यदि कर्मचारी को किसी भी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो उसे उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, एक अतिरिक्त पद पर रखा जा सकता है।

(2) किसी व्यक्ति को केवल उसकी विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता :

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, किसी प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा परंतु ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हो , किसी भी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है"।

(7) उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि एक कर्मचारी जो अपनी सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त कर लेता है, उसकी सुरक्षा की मांग करना अवश्यक है क्योंकि यदि कानून द्वारा कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो न केवल ऐसा कर्मचारी स्वयं पीड़ित होता है, बल्कि जो भी उन पर निर्भर करते हैं वे सभी भी समान रूप से पीड़ित होंगे जैसा कि **कुणाल सिंह** बनाम **यूनियन ऑफ़ इंडिया**[7] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि विकलांग व्यक्ति वह है जो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 2(टी) के अर्थ के तहत विकलांग व्यक्ति माना जाता है।

(8) धारा 47 के अवलोकन से यह और भी स्पष्ट है कि कोई भी प्रतिष्ठान सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करने वाले किसी कर्मचारी को अलग नहीं करेगा, या उसका रैंक कम नहीं करेगा। उपर्युक्त प्रावधान द्वारा यह स्पष्ट है कि यदि कोई कर्मचारी विकलांगता प्राप्त करने के बाद, उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रहा जो वह धारण कर रहा था तो उसे उसी वेतनमान और सेवा लाभों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आगे यह प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई पद उपलब्ध ना होने के कारण ऐसे कर्मचारी को समायोजित करना संभव नहीं है तब , एक अतिरिक्त पद पर रखना आवश्यक है जब तक कि ऐसा पद उपलब्ध न हो या वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी स्थिति पहले उत्पन्न हो। यह प्रावधान स्पष्ट रूप

---

[7] 2003 (4) एस.सी.सी. 524

से निर्धारित करता है कि विकलांग व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना होगा। तदनुसार, याचिकाकर्ता को हालांकि कार्यमुक्त कर दिया गया है, लेकिन उसे सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो कि 30 जून, 2007 है, सेवा से सेवानिवृत्त नहीं माना जा सकता है। तदनुसार, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने 1 सितंबर, 1994 से 30 जून, 2007 तक, निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों का अधिग्रहण करने के बाद तक सेवा प्रदान की है । ऐसी सेवा योग्य सेवा मानी जाएगी क्योंकि इसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की है । वह 30 जून, 2007 से सेवानिवृत्त होंगे जब अधिनियम की धारा 47 के परंतुक 2 की आवश्यकता के अनुसार याचिकाकर्ता के पति के लिए अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता उस तारीख से वेतन का भुगतान करने का हकदार होगा जिस दिन से उसे कार्यमुक्त किया गया था और उसे उसके बाद उसकी सेवानिवृत्ति यानी 30 जून, 2007 तक वेतन का भुगतान किया जाएगा।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि याचिकाकर्ता का पति सेवा की पूरी अवधि के लिए अमान्य पेंशन या ग्रेच्युटी का हकदार है, हमारे विचार में नहीं ये नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता का पति अभी तक सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने का अभी तक कोई आदेश नहीं है, जिसे 4 जून, 2002 (मार्क "ए") को 1995 अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों को पूरी तरह से अनदेखा करके को कार्यमुक्त कर दिया गया था। हम नियम 6.16 के अनुसार याचिकाकर्ता के पति को सेवा ग्रेच्युटी देने के लिए विद्वान

(7) 2003 (4) एस.सी.सी. 524

राज्य वकील द्वारा दिए गए तर्क को भी खारिज करते हैं, जो इस धारणा पर निर्धारित है कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गया है। यह तर्क उसी भ्रांति से ग्रस्त है क्योंकि याचिकाकर्ता के संबंध में रिकॉर्ड पर सेवानिवृत्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(10) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका स्वीकार की गई है। याचिकाकर्ता को सेवा से मुक्त करने वाला आदेश दिनांक 4 जून, 2002 (मार्क "ए") और याचिकाकर्ता के पति को पेंशन

परवेश देवी बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

अनुदान के अनुरोध को अस्वीकार करने वाला आदेश दिनांक 15 फरवरी, 2005 (अनुलग्नक पी.8) को रद्द कर दिया जाता है। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को काल्पनिक रूप से वेतन का भुगतान करें जैसे कि वह सेवा में है और एक अतिरिक्त पद पर काम कर रहा है। याचिकाकर्ता के पति द्वारा आहरित वेतन की बकाया राशि की गणना 1 जुलाई, 2002 से आज तक की जाएगी और याचिकाकर्ता की पत्नी को नियमों के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति, उत्तरदाताओं के समक्ष रखने के, एक महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा। याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति तक हर महीने वेतन का भुगतान किया जाएगा। उत्तरदाताओं को वेतन देय होने की तारीख, जो की 1 जुलाई, 2002 है , से भुगतान की तारीख तक बकाया वेतन पर 8 प्रतिशत के दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। याचिकाकर्ता को सेवा ग्रेच्युटी के रूप में पहले ही भुगतान किए गए 39040 रुपये की राशि वेतन को बकाया से काटकर दी जाएगी। सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के पति की पेंशन की गणना के आदेश के साथ सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करना होगा। याचिकाकर्ता की पत्नी को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन भी दिया जाएगा ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनमोल कक्कड़
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा